प्रेस विज्ञप्ति

27.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.08.2026 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मेसर्स वाटिका लिमिटेड और उसके प्रवर्तक-निदेशकों से जुड़े सात आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड, इसके प्रवर्तक-निदेशकों, अर्थात् अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एक ईसीआईआर दर्ज की थी। उक्त ईसीआईआर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकीयों पर आधारित है, जिसमें आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी के प्रलोभन, आवासीय भूखंडों की गैर-वितरण और अन्य संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया है।

अब तक की गई जांच से प्रथम दृष्टया परियोजनाओं "वाटिका इंडिया नेक्स्ट" और "वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2" से संबंधित लेनदेन में एक सामान्य पैटर्न का पता चला है, जिसमें शिकायतकर्ताओं से आवासीय भूखंडों के आवंटन और बिक्री के लिए अग्रिम रूप से पर्याप्त राशि प्राप्त की गई थी, लेकिन वादा किए गए भूखंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कई समय सीमा बीत जाने के बाद भी वितरित नहीं किया गया था। 2010 और 2012 के बीच पीड़ित संस्थाओं से प्राप्त लगभग 260.30 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 120 करोड़ रुपये के भूखंड वितरित किए गए। हालांकि, पीड़ित संस्थाओं द्वारा उन्हें प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद, शेष भूखंड 14 वर्षों के बाद भी वितरित नहीं किए गए थे। जांच में वाटिका समूह से जुड़े विभिन्न भूमि-स्वामित्व/समूह संस्थाओं और प्रमुख व्यक्तियों की संलिप्तता का भी पता चला है। इसके अलावा, उसी परियोजना में, आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित कंपनी से उचित सहमति लिए बिना तीसरे पक्ष को गुप्त रूप से 14 भूखंड भी बेचे हैं।

तलाशी अभियान के दौरान, मेसर्स वाटिका लिमिटेड के प्रमोटरों और निदेशकों से संबंधित संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों, टैली आँकड़े, धन के अंतरण/विचलन से संबंधित रिकॉर्ड और शिकायतकर्ताओं से प्राप्त धन के विवरण सहित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद

और जब्त किए गए। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार लगभग 33 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाली तीन लग्जरी वाहन, आभूषण और बैंक खाते/प्रतिभूतियां भी जब्त/फ्रीज की गईं।

आगे की जांच जारी है।